# बिहार सरकार

## जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, बेगूसराय।

E-mail Id – zilaparishadbegusarai@gmail.com

(केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर

**<u>अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01(R1)/2023-2024</u>**

1. कार्य का विवरण :–

| ग्रुप संख्या | प्रखंड का नाम | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख में) | अग्रधन की राशि (रूपये) (Through online or Manual mode Payment) | परिमाण विपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (रू0 में) (Through online Payment) | बेल्ट्रॉन को देय Bid Processing Fee (Through online Payment) अप्रत्यर्पणीय (रुपये) | कार्य समाप्ति की अवधि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | बेगूसराय सदर | खम्हार ग्राम पंचायत अंतर्गत खम्हार ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द का निर्माण कार्य। | 58.23 | 116600 | 10,000 | 590 | 09 माह | |
| 02 | भगवानपुर | महेशपुर ग्राम पचांयत के अतरूआ ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य। | 58.23 | 116600 | 10,000 | 590 | 09 माह | |
| 03 | गढ़पुरा | मौजीहरी सिंह ग्राम पंचायत अंतर्गत शीतलरामपुर ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य। | 58.23 | 116600 | 10,000 | 590 | 09 माह | |
| 04 | सहेबपुर कमाल | रघुनाथपुर बरारी ग्राम पंचायत अंतर्गत श्रीनगर ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य। | 58.23 | 116600 | 10,000 | 590 | 09 माह | |

2. विज्ञापनदाता का नाम :– जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय।
3. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :– 17.05.2023
4. परिमाण विपत्र प्राप्त/निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि :– 27.05.2023 से 31.05.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक (सिर्फ बेवसाइट www.eproc2.bihar.gov.inपर)
5. प्री–बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय :– जिला अभियंता, जिला परिषद,बेगूसराय के कार्यालय में दिनांक– 29.05.2023 के अपराहन 12:30 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक
6. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 01.06.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक (सिर्फ बेवसाइट www.eproc2.bihar.gov.inपर)
7. अग्रधन राशि/परिमान विपत्र के मूल्य का ऑनलाईन चलान मूल में तथा शपथ पत्र इत्यादि कागजात कार्यालय में जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक – 03.06.2023, के अपराहन 3.00 बजें
8. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक – 04.06.2023, के अपराहन 3.00 बजें
9. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– तकनीकी बिड निष्पादन के पश्चात
10. निविदा की वैधता की अवधि :– 120 दिन।
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर की हो निविदा में भाग ले सकते है, परन्तु इस राज्य में भवन निर्माण विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपट्रेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व अनिवार्य होगा।
12. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई–मेल से संबंधित जानकारी सहायता हेतु eproc2support@bihar.gov.inएवं Toll Free no.-18005726571, तथा EProc 2.0Help Desk Adress ..mjuction services limited RJ complex, 2nd Floor, Canra Bank Campus, Khajpkura, Ashiana Road, P.S.& Shastri Ngar Patna 800014, Bihar से प्राप्त किया जा सकता है।
13. विस्तृत जानकारी हेतु state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

14. ई–निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। बेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate With Encryption) प्राप्त करना होगा। user id, password,DSC इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।
15. निविदा कागजात भरकर बेवसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
16. बीड प्रोसेसिंग फीस+सर्विस टैक्स (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विधि यथा Internet Payment Gateway(Credit Cards) अथवा Neft/RTGS/CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Acount में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
17. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण–पत्रों की स्व0–हस्ताक्षरित प्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
18. निविदा कागजातों का मूल्य Internet Payment Gateway(Credit/Debit Card/NetBanking) के माध्यम से (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नही जायेगी) के रूप में होगी।
19. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री के गुणवता की सम्पुष्टि इन्जीनियर इन चार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।
20. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
21. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे जो किसी भी विभाग से Debar/ Black Listed हैं।
22. विगत 3 वर्षो में किसी 1 वर्ष Civil कार्य कराने का अनुभव प्राकलित राशि से 50 प्रतिशततक हो एवं समान कार्य का कम से कम प्राकलित राशि का 10 प्रतिशत अनुभव होना चाहिए जो कार्यपालक अभियंता या उनके समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
23. संवेदकों का कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति में पूर्ण रूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
24. पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 447 (S)-सह–पठित ज्ञापांक संख्या 448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 566 (भ) दिनांक 17.01.2020 में निहित शर्तें इस निविदा में प्रभावी होगी।
25. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए सेस के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
26. डिफेक्ट एवं लाईबिलिटी पीरियड कार्य समाप्ति के तिथि के बादसे 03 वर्ष का होगा।
27. सक्षम पदाधिकारी से दर अनुमोदित होने के 14 दिनों अंदर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
28. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
29. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, उसी के अनुरूप अग्रधन देय होगा।
30. अग्रधन :–

e-Proc 2.0 प्रणाली के तहत् मात्र online विधि से समर्पित अग्रधन (EMD) ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा करना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारंटी (BG) ही स्वीकार किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ बैंक गारंटी (BG) को Scan कर अपलोड करेंगे तथा भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। e-Proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G.(District Engineer, Zila Parishad, Begusarai के पदनाम से प्रतिज्ञाप्ति(Pledged) हो जो भारतीय Schedule बैंक/भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो बिहार राज्य में अवस्थित हो बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। इस प्रणाली के तहत् बैंक गारंटी (BG) का Online Verification किया जाएगा। सशर्त्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा।

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि मूल रूप से जिला अभियंता, जिला परिषद्, बेगूसराय के पदनाम से कार्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

31. निविदा के तकनिकी बीड में निम्नाकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा :–
    - ✓ अग्रधन की राशि
    - ✓ वैध निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
    - ✓ साझेदार फर्म/कम्पनी के मामलें में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छायाप्रति।
    - ✓ पैन कार्ड की छायाप्रति।
    - ✓ आचरण प्रमाण–पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत।
    - ✓ GST निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
    - ✓ Labour License की छायाप्रति।
    - ✓ NIT के अनुसार अन्य कागजात की छायाप्रति।

32. घोषणा प्रमाण–पत्र (मूल में) का शपथ पत्र निम्न प्रारूप में देना अनिवार्य होगा :–

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) ..............................................सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..............................................शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी प्रकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Resceind) नहीं किया गया है।

(ग)मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता, पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

33. उपर्युक्त कंडिका क, ख, ग में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका घ मे से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जाएगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगे। संवेदकों को ठेकेदारी निबंधन नियामवली–2007 के तहत काली सूची दिवार(Debar) तथा निलंबन इत्यादि किया जा सकता है।

34. संवेदक के पास डिजाईन मिक्स मशीन, नोजल भाईब्रेटर, सेन्टरिंग प्लेट, वाटर टैंकर आदि स्वयं का होना चाहिए। अथवा किरये पर लने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेन देन का मूल शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अतान्य कर दिया जायेगा। उक्त यंत्र संयत्र का भौतिक सत्यापन जिला अभियंता, जिला परिषदबेगूसराय के द्वारा किया जायेगा। इसका प्रतिवेदन जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के द्वारा तकनीकी बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा, तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

35. **प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है। प्ररिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर वाली निविदा के अमान्य कर दिया जाएगा।

(ख) असाधरण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3376 (E) दिनांक–17.08.2010 के एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

36. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

37. **निविदा निष्पादन**

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या–31 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरांत स्वीकार की जाएगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आंवटित किया जायेगा।

38. **एकरारनामा**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 14 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के क्रमशः F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पटट् उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदाताओं को निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगीः–

- ✓ 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल रहेगें, उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
- ✓ 50 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक वर्ष में प्रमाण विपत्र (BOQ) के 50 प्रतिशत भुगतान का प्रमाण–पत्र होना चाहिए तथा प्रमाण विपत्र (BOQ) के 10 प्रतिशत मूल्य के बारबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण–पत्र देना होगा, जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें IT, SD, Royality, Net Payment, Gross Payment होगा।
- ✓ 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जांच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र संयत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र संयत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। गुण नियंत्रण उपकरण का भौतिक सत्यापन जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के द्वारा किया जाएगा। तथा इसका प्रतिवेदन तकनीकी बीड के साथ समर्पित करना होगा।
- ✓ 50 लाख से अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम से कम एक डिप्लोमा (सिविल एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए। ततसंबंधी उनका शपथ–पत्र एवं प्रमाण–पत्र संलग्नहोना चाहिए। शपथ–पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्त्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री–डिप्लोमा अभियंता, भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

39. **अन्य शर्ते**

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब पर भुगतान में अनुमान्य कटौती की जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

40. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 3 वर्ष (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

41. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

42. संवेदक सभी मूल कागजातों को स्कैन पर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमबद्ध करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रत्येकM.S Office(Compatibility Mode), JPEG, ZIP Formate में ही Upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
43. बिहार सरकार द्वारा समय़–समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
44. सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जायेगा।
45. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता जिला परिषद बेगूसराय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
46. यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website- eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
47. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tenders Section में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

17/5/23

जिला अभियंता,
जिला परिषद, बेगूसराय।